कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/असंपूमैछा/2017–18/ दिनांक : 25-09-17

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक प्रथम/द्वितीय)

विषय :– अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु एन.एस.पी पोर्टल पर सत्र 2017–18 के नूतन/नवीनीकरण प्रस्तावों के Verification की अंतिम तिथी के क्रम में।
प्रसंग :– अल्पसंख्यक मामलात विभाग, नई दिल्ली का ई–मेल दिनांक 13.09.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक ई–मेल के क्रम मे लेख है कि अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु एन.एस.पी पोर्टल पर सत्र 2017–18 के लिए विद्यार्थियों द्वारा पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम दिनांक 30 सितम्बर 2017 है इसी क्रम मे नूतन/नवीनीकरण प्रस्ताव विद्यालय स्तर एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से स्क्रुटनी एवं वेरीफिकेशन की अंतिम दिनांक अल्पसंख्यक मामलात विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गई है। जो इस प्रकार है :–

क्र.सं.	कार्यक्रम	निर्धारित अंतिम तिथी
1	विद्यालय द्वारा पोर्टल पर प्राप्त नुतन/नवीनीकरण प्रस्तावों की स्क्रुटनी एवं वेरीफिकेशन	15–अक्टूबर–2017
2	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा विद्यालय से पोर्टल पर प्राप्त नुतन/नवीनीकरण प्रस्तावों की स्क्रुटनी एवं वेरीफिकेशन	31–अक्टूबर–2017

उक्त निर्धारित दिनांक के पश्चात मंत्रालय द्वारा पोर्टल पर उक्त ऑप्शन बन्द कर दिए जाएगें। स्क्रुटनी एवं वेरीफिकेशन की जिम्मेवारी संस्था प्रधान के साथ–साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की भी है। अतः यह सुनिश्चित करे कि आपके कार्यालय का अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु जारी एनएसपी 2.0 के आईडी व पासवर्ड सही काम कर रहा है ऐसा न होने की स्थिति मे अविलम्ब अधोहस्ताक्षकर्ता से व्यक्तिशः सम्पर्क कर उक्त समस्या का निराकरण करे। अतः अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानो को उक्त कार्य निर्धारित समयावधी मे करने हेतु पाबन्द करे एवं अपने स्तर पर भी वेरीफिकेशन का कार्य निर्धारित समयावधी मे करे ताकि किसी विपरित परिस्थिति से बचा जा सके।

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि आप अपने अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में करने हेतु पाबन्द करे।
4. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) को प्रेषित कर निवेदन है कि वे अपने अधिनस्थ जि0शि0अ0 कार्यालयों को उक्त कार्यवाही निर्धारित समयावधि में करने हेतु पाबन्द करे।

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

E:\Group-B\Minority\Letter Minority.docx